सं. 03/02/2013-रा.भा. (सेवा)
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

नई दिल्ली सिटी सेंटर-II बिल्डिंग,
जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110 001
दिनांक 31 मई, 2021

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- वर्ष 2013 की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए कनिष्ठ अनुवाद अधिकारियों की परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर उन्हें स्थायी किये जाने के संबंध में ।

उपर्युक्त विषय पर कृपया राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 03/02/2012-रा.भा. (सेवा), दिनांक 10 नवंबर 2020 का सन्दर्भ लें ।

2. केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के वर्ष 2013 की परीक्षा में सफल हुए निम्नलिखित कनिष्ठ अनुवाद अधिकारियों के स्थायीकरण करने पर विचार करने हेतु अनाधिकृत अवकाश से संबन्धित प्रमाण पत्र (अनुलग्नक – क) एवं सतर्कता निकासी प्रमाण पत्र भिजवाने का अनुरोध किया गया था परंतु संबधित मंत्रालय/विभागों ने अपेक्षित दस्तावेज अभी तक उपलब्ध नहीं कराए हैं:-

क्र.सं.	नाम (सुश्री/श्रीमती/श्री)	मंत्रालय/विभाग	अभ्युक्ति
1	सफदर इमाम उमरानी	दूरसंचार विभाग	-
2	विपिन कुमार झा	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	-
3	अनुज कुमार पी.	कें.लो.नि.वि., त्रिवेंद्रम	सतर्कता निकासी प्रमाण पत्र प्राप्त
4	मीना कुमारी	बुनकर सेवा केंद्र, नई दिल्ली (विकास आयुक्त (हथकरघा) का कार्यालय)	एपीएआर : 20.06.2016 से 31.03.2017
5	सुश्री कोमल	दूरसंचार विभाग	-
6	राजेश कुमार शाव	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	एपीएआर उपलब्ध नहीं
7	धीरज कुमार यादव	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग	-
8	सुश्री नीलम गुप्ता	डी.ए.वी.पी.	एपीएआर उपलब्ध नहीं
9	सन्त कुमार	भूमि संसाधन विभाग	-

......2

3. संबंधित मंत्रालय/विभागों द्वारा अपेक्षित दस्तावेजों के उपलब्ध न कराए जाने के कारण केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग वर्ष 2013 के कनिष्ठ अनुवाद अधिकारियों के स्थायीकरण करने पर विचार करना संभव नहीं है ।

4. संबंधित मंत्रालयों/विभागो से अनुरोध है कि वे स्थायीकरण की प्रक्रिया पूरी करने के लिए अपेक्षित दस्तावेज दिनांक 30 जून, 2021 तक अधोहस्ताक्षरी को भिजवाएं ।

31/05/2021

(बी.एल.मीना)
निदेशक (सेवा)
011-23438002

सेवा में,

1. संबंधित मंत्रालय/विभाग/कार्यालय तथा संबंधित कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी को राजभाषा विभाग की वेबसाइट के माध्यम से ।
2. तकनीकी निदेशक (एन.आई.सी.), राजभाषा विभाग, नई दिल्ली ।
3. गार्ड फाइल ।

अनुलग्नक – क

फ़ाइल सं.
भारत सरकार
मंत्रालय / विभाग का नाम

दिनांक

विषय: केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के वर्ष 2013 की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए कनिष्ठ अनुवाद अधिकारियों को को स्थायी किए जाने के संबंध में प्रमाण-पत्र ।

****

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री ____________________,पद ____________________ ने कार्यभार ग्रहण करने की तिथि ____________________ से अगले 02 वर्ष तक कोई भी अनाधिकृत अवकाश नहीं लिया गया है एवं उनकी सेवा में कोई व्यवधान नहीं रहा है।

हस्ताक्षर
सक्षम प्राधिकारी

सुश्री हेमलता, अवर सचिव (सेवा),
गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग,
एनडीसीसी-2 बिल्डिंग, चौथा तल
जय सिंह रोड, नई दिल्ली -110001